आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

का. आ. 2982(अ).—डीपीसीओ 2013 के पैरा 19 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 (2) (एल) के तहत प्रदत्त शक्तियां जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश क्रमांक जेड-33014/45/2020-आरसीएच/भाग.फाइल-3 दिनांक 23.09.2020 द्वारा प्रदान की गयी थी, के तहत लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) और ऑक्सीजन इनहेलेशन (औषधीय गैस) की कीमतें का. आ 3322 (अ) दिनांक 25.09.2020, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण औषध विभाग; रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी जो कि दिनांक 31.03.2021 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो" लागू था और का. आ 1335 (अ) दिनांक 25.03.2021 के माध्यम से दिनांक 30.09.2021 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो लागू था, फिर का. आ 3936 (अ) दिनांक 23.09.2021 के माध्यम से दिनांक 31.12.2021 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो लागू था, फिर का. आ 5424 (अ) दिनांक 28.12.2021 के माध्यम से दिनांक 31.03.2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो लागू था और का. आ 1508 (अ) दिनांक 30.03.2022 के माध्यम से दिनांक 30.06.2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो लागू है उसे दिनांक 30.09.2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढाया जाता है।

2. दिनांक 25.03.2021 के विस्तार के आदेश का. आ 1335 (अ), दिनांक 23.09.2021 के विस्तार के आदेश का.आ. 3936 (अ), दिनांक 28.12.2021 के विस्तार के आदेश का.आ. 5424 (अ) और दिनांक 30.03.2022 के विस्तार के आदेश का.आ. 1508 (अ) के साथ पढ़े गये दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के मूल आदेश का.आ. 3322 (अ) में उल्लिखित सभी नोट्स और अन्य सामग्री समान रूप से लागू रहेंगे किन्तु नोट (क) में "30 जून 2022 के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो "वाक्यांश के लिए" 30 सितंबर 2022 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो" पढ़ा जाए।

[कां.सं. / 231 / 99 / 2022 / एफ / फा.सं. 8(99) / 2022 / डीपी / एनपीपीए.–डिवी–II]
प्रसेनजीत दास, उप निदेशक

ORDER

New Delhi, the 30th June, 2022

S. O. 2982 (E).— The prices of 'Liquid Medical Oxygen (LMO)' and 'Oxygen Inhalation (Medicinal gas) in cylinder' fixed under Para 19 of the DPCO, 2013 and powers conferred under section 10(2)(l) of Disaster Management Act, 2005 delegated by Ministry of Health and Family Welfare vide Order No. Z-33014/45/2020-RCH/Pt.File-3 dated 23.09.2020, vide notification S.O. 3322(E) dated 25.09.2020, issued by National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India, applicable upto '31.03.2021 and 'extended upto 30.09.2021 vide S.O.1335(E) dated 25.03.2021, then extended upto 31.12.2021 vide S.O.3936(E) dated 23.09.2021, then extended upto 31.03.2022 vide S.O.5424(E) dated 28.12.2021 and again extended upto 30.06.2022 or until further order whichever is earlier vide S.O. 1508(E) dated 30.03.2022 are further extended upto 30.09.2022 or until further order, whichever is earlier.

2. All the notes and other contents mentioned in the original order S.O. 3322(E) dated 25.09.2020 read with S.O.1335 (E) dated 25.03.2021, S.O. 3936(E) dated 23.09.2021, S.O. 5424(E) dated 28.12.2021 and S.O. 1508(E) dated 30.03.2022 shall remain the same and are applicable except that in Note (a) for the phrase "30th June 2022 or until further orders, whichever is earlier" it is to be read as "30th September 2022 or until further orders, whichever is earlier."

[PN/231/99/2022/F/F. No. 8(99)/2022/DP/NPPA-Div.-II]
PRASENJIT DAS, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

का.आ. 2983(अ).—डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत जारी ऑक्सीजन सांद्रक (कांसेंट्रेटर्स) के लिए 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण' से उत्पाद बिक्री के पहले बिंदु(वितरक को मूल्य) के आधार पर अधिकतम खुदरा मूल्य को

नियत/संशोधित करने से संबंधित दिनांक 3 जून,2021 के का.आ.2161(ई),दिनांक 30 नवम्बर, 2021 के का.आ. 4909(ई) और 30 मई, 2022 के का.आ. 2465(ई) के माध्यम से राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। उपरोक्त अधिसूचनाओं के क्रम में, ऑक्सीजन सांद्रक(कांसेंट्रेटर्स) के व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण से उत्पाद की बिक्री के पहले बिंदु(वितरक को मूल्य) के आधार पर अधिकतम कीमतें नियत करने संबंधी 30 जून, 2022 तक की अधिसूचना को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 तक अथवा अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि डीपीसीओ, 2013 के पैरा 20(1) के प्रावधानों के अनुसार इसकी निगरानी की जाएगी, जो अधिसूचना एस.ओ. 2161 (ई) दिनांक 3 जून 2021 के पैरा 11 में निर्धारित व्यापार मार्जिन के अनुबद्ध के अधीन है।

2. दिनांक 3 जून 2021 के का.आ. 2161(ई) की टिप्पणियां (ख) से (न) तक इस आदेश के जारी होने की अवधि के दौरान लागू रहेंगी।

[कां.सं./231/99/2022/एफ/ फा.सं.8(99)/2022/डीपी/एनपीपीए/डिवी.II]

राजेश कुमार टी., उप निदेशक

ORDER

New Delhi, the 30th June, 2022

S.O. 2983.—the National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India vide S.O. 2161 (E) dated 3rd June 2021, S.O. 4909 (E) dated 30th November 2021 and S.O. 2465 (E) dated 30th May 2022 issued notifications under Para 19 of the DPCO, 2013 regarding capping the trade margin of Oxygen Concentrators at first point of sale (price to distributor) for fixation of Maximum Retail Price of the product. In continuation to the above notifications, capping the trade margin of Oxygen Concentrator at first point of sale (price to distributor) up to 30th June 2022 is further extended upto 31st December 2022 or till further order, whichever is earlier. It has also been decided that the same shall be monitored as per the provisions of Paragraph 20(1) of the DPCO, 2013 subject to maintenance of trade margin stipulated in Para 11 of the notification vide S.O. 2161 (E) dated 3rd June 2021.

2. The Notes (b) to (n) of the Notification S.O. 2161(E) dated 3rd June 2021 shall remain in force during the currency of this order.

[PN/231/99/2022/F/F. No. 8(99)/2022/DP/NPPA/Div.II]

RAJESH KUMAR T., Dy. Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.07.01 15:35:57 +05'30'